सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 52 राँची, मंगलवार, 31 जनवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-06/2022-09--लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दि-19.01.2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सुचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022

(झारखंड अधिनियम- 01, 2023)

विषय-सूची

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं ।

3. समाधान राशि का निर्धारण।

4. समाधान हेतु आवेदन।

5. आवेदन का निपटान।

6. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण/परिशुद्धि ।

7. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति ।

8. अपील ।

9. नियम बनाने की शक्तियाँ ।

बिहार वित्त अधिनियम 1981, भाग I (1981 का बिहार अधिनियम 5) तथा झारखण्ड राज्य द्वारा यथा अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का झारखण्ड अधिनियम 5), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74), अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36), झारखण्ड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 21), झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम, 14), झारखण्ड वृतियों व्यापारों आजीविका और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 02), झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम 2012, (2012 का झारखण्ड अधिनियम, 13) तथा झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपयोग एवं व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेष पर प्रवेष कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 11) के अधीन की गई कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले विवादों तथा पुरानी बकाया राशियों का समाधान करते हुए राज्य के लिए राजस्व सृजन तथा बकाया धारकों को राहत देने की तत्काल कार्रवाई करने हेतु ''झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022'' को अधिनियमित करने हेतु विधेयक।

यह भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड की विधायिका के द्वारा निम्नवत् अधिनियमित होः-

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा (संक्षिप्त में ''कर समाधान योजना, 2022'')।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 6 महीने तक मान्य होगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस हेतु सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, उक्त 6 महीने की वैसी अवधि को छः महीने से अनधिक अग्रतर अवधि हेतु विस्तारित कर सकती है जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

2. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) ''स्वीकृत कर'' से अभिप्रेत है, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के द्वारा दाखिल की गई विवरणियों के अनुसार स्वीकृत की गयी भुगतेय कर की राशि;

(ii) ''निर्धारित कर'' से अभिप्रेत है, सुसंगत अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण या पुनर्कर निर्धारण के किसी आदेष के अधीन संदेय के रूप में निर्धारित कर, ब्याज एवं शास्ति;

(iii) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुराने बकाये का भुगतान करने का दायी है और जो इस अधिनियम के अधीन शर्तों के अनुपालन द्वारा समाधान की प्रसुविधा का लाभ उठाने का इच्छुक है;

(iv) ''अपील'' से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत अपील, जो कि तत्संबंधी अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकार के समक्ष लम्बित है;

(v) ''कर, शास्ति एवं ब्याज का बकाया'' से अभिप्रेत है, 31 मार्च, 2018 को अथवा उसके पूर्व की किसी अवधि से संबंधित सुसंगत अधिनियमों के अधीन पारित किए गए कर निर्धारण, पुनर्कर निर्धारण अथवा संवीक्षा के आदेश अथवा किसी भी अन्य आदेश के अन्तर्गत करदाता द्वारा भुगतेय कर, ब्याज, शास्ति अथवा किसी भी नाम से जाने जाने वाली शास्ति, जो कि इस अधिनियम के अधीन आवेदन दाखिल करने की तिथि को भुगतान हेतु लम्बित हो;

परन्तु यह कि पुराने बकाये में राज्य सरकार के द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए कर-आस्थगन योजनाओं से संबंधित कोई बकाया सम्मिलित नहीं होगा;

परन्तु यह और कि बकाया में अभियोजन के बदले में लगायी गयी शास्ति सम्मिलित नहीं होगी।

(vi) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा विशेष आयुक्त अथवा वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर आयुक्त;

(vii) "विवाद" से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न और यथा स्थिति, निम्नलिखित के समक्ष लम्बित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफरेन्स, रिट याचिका अथवा विशेष अनुमति याचिकाः-

(i) वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर/ संयुक्त आयुक्त (अपील);

(ii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर अपर/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);

(iii) वाणिज्य-कर आयुक्त;

(iv) वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण;

(v) केन्द्रीय बिक्री कर न्यायाधिकरण;

(vi) उच्च न्यायालय;

(vii) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

व्याख्या- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ 'विवाद' में शामिल हैं -

(i) सुसंगत अधिनियम के अधीन विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा अधिरोपित कोई कर, ब्याज अथवा शास्ति जिसे सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया होय

(ii) बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन कर, ब्याज अथवा शास्ति की वसूली हेतु लंबित कार्यवाही;

(viii) विवाद के संबंध में, विवादित राशि से अभिप्रेत है कि कोई कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति जिसे सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश, पुनर्कर निर्धारण आदेश, जाँच अथवा कोई अन्य आदेश के द्वारा भुगतान हेतु निर्धारित किया गया है तथा जिसे स्वीकार नहीं किया गया है एवं वैसी मांग के विरूद्ध किसी अपीलीय प्राधिकार या फोरम के समक्ष कोई वाद दाखिल किया गया हो परन्तु इसमें सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश, पुनर्कर निर्धारण आदेश, जाँच अथवा कोई अन्य आदेश से संबंधित ऐसी मांग सम्मिलित नहीं होगी, जहां सरकार द्वारा ऐसी मांग के विरूद्ध किसी अपीलीय प्राधिकार अथवा उच्चतर न्यायालय में वाद दायर किया गया हो;

(ix) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्रेत है-

1. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) एवं झारखण्ड राज्य में अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम,
2. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74),
3. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम 5),
4. अंगीकृत एवं संशोधित बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 36) एवं झारखण्ड में 2011 का संशोधित अधिनियम 10
5. झारखण्ड होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 2011 (2011 का झारखण्ड अधिनियम 21)/इसके पूर्व के प्रशासित अधिनियम

6. झारखण्ड विज्ञापन कर, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 14)/ इसके पूर्व के प्रशासित अधिनियम
7. झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम 2011,
8. झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 (2012 का झारखण्ड अधिनियम 13)/ इसके पूर्व का प्रशासित अधिनियम
9. झारखण्ड स्थानीय क्षेत्र में उपभोग अथवा व्यवहार हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2011

(x) ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है कोई प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि/विक्रेता/विधिक उत्तराधिकारी जो कि किसी विवाद का पक्षकार है अथवा पुराने बकाये का धारक है एवं सुसंगत अधिनियम के अधीन विवाद/पुराने बकाये का समाधान करना चाहता है एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता है;

(xi) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित;

(xii) ''विहित प्राधिकारी'' - इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(xiii) ''पुनरीक्षण'' से अभिप्रेत है सुसंगत अधिनियमों के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन जो आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग अथवा वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, झारखण्ड के समक्ष लम्बित हो

(xiv) ''समाधान'', विवाद के संबंध में समाधान से अभिप्रेत है विवाद से संबंधित कार्यवाही का निराकरण एवं निष्कर्ष

(xv) ''समाधान राशि'' से अभिप्रेत है प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली कर, ब्याज एवं शास्ति की राशि, अर्थात, अन्तिम रूप से भुगतान की जाने वाली राशि

(xvi) ''वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ प्रपत्र''- से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुसंगत अधिनियमों/नियमावलियों के अन्तर्गत विहित वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ प्रपत्रय

(xvii) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम 1981 अथवा झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन गठित वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण ।

वैसे शब्द अथवा अभिव्यक्ति, जो इसमें पारिभाषित नहीं हैं, के अर्थ वही होगें जो सुसंगत अधिनियम अथवा उनके अधीन बनायी गयी नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किए गये हों ।

अध्याय-2
विवाद का समाधान

3. समाधान राशि का निर्धारण-

(i) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन, कर का पुराना बकाया अथवा सुसंगत अधिनियम के अधीन लम्बित विवाद में सन्निहित कर का समाधान किसी व्यक्ति की ओर से इस हेतु दिये गये आवेदन पर, निम्न सारणी के स्तम्भ 3 एवं 4 में उल्लेखित राशि के भुगतान के पश्चात् किया जाएगा-

सारणी

क्रं० सं०	**मामलों के प्रकार**	**समाधान राशि**	
1	**2**	**3 (कर)**	**4 (ब्याज/ शास्ति)**
1.	स्वीकृत कर, ब्याज एवं शास्ति का बकाया।	स्वीकृत कर की 100% राशि	भुगतान नहीं किए गए बकाया ब्याज एवं शास्ति का 10% (90% अधित्यक्त)
2.	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के निर्धारित कर की बकाया राशि	बकाया कर राशि (निर्धारित कर के कर संभाग (Tax component) एवं पूर्व में ही भुगतान की गई कर राशि के मध्य अन्तर की राशि) का 40% (60% अधित्यक्त)	उक्त वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज एवं शास्ति की भुगतान नहीं की गई राशि का 10% (90% अधित्यक्त)
3.	वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की अवधि की वैधानिक घोषणापत्रों/ प्रमाणपत्रों से संबंधित बकाया राशि	आवेदक के द्वारा (**क**) विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए स्वीकार्य प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों/ घोषणापत्रों के मूल्य में सन्निहित कर की राशि, तथा (ख) सकल बकाया कर- राशि में से पूर्व में ही भुगतान की गई राशि को घटाने के उपरांत शेष बकाया राशि का 50% (50% अधित्यक्त)	उक्त वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज एवं शास्ति में से भुगतान नहीं की गई मांग राशि का 10% (90% अधित्यक्त)
4.	क्रमांक 1, 2 एवं 3 में वर्णित से भिन्न कोई विवादित बकाया	यदि विवादित कर-राशि संबंधित अवधि के किसी आदेश/कर निर्धारण/पुनर्कर निर्धारण में सम्मिलित नहीं कर लिया गया होय तो विवादित कर का 40% (60% अधित्यक्त)	वैधानिक आदेश के अनुसार ब्याज तथा शास्ति मद में भुगतान नहीं की गयी मांग राशि का 10% (90% अधित्यक्त)

परन्तु यह कि जहाँ पूर्व में ही भुगतान की गई राशि के साथ प्रस्तुत किये गये स्वीकार्य प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों/घोषणापत्रों में सन्निहित कर की राशि कुल बकाया राशि से अधिक हो जाती है, वहां समझौते के परिणामस्वरूप कोई कर वापसी नहीं की जाएगी ।

परन्तु यह और कि, वैसे मामलों में, जिनमें राज्य सरकार/विभाग के द्वारा उच्चतर न्यायालय में समावेदन किया गया हो, उनमें प्राधिकारी के द्वारा समाधान हेतु आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-i सिर्फ ब्याज तथा शास्ति आदेश के विरूद्ध दाखिल किए गए समाधान आवेदन पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब विधिक आदेश के अनुरूप कर के घटित भाग (Tax component) की मांग राशि का भुगतान कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण- ii विवाद के समाधान के उद्देष्य से विभाग/प्राधिकारी के द्वारा निर्गत किये गये प्रत्येक विधिक आदेश /मांगपत्र को एक विवाद समझा जाएगा तथा उस व्यक्ति को प्रत्येक ऐसे विवाद के समाधान हेतु पृथक्-पृथक आवेदन दाखिल करना होगा ।

अध्याय III
विवादों के समाधान की रीति

4. **समाधान हेतु आवेदन**- (1) बकाया समाधान हेतु इच्छुक किसी व्यक्ति के द्वारा विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत हर एक वैधानिक आदेश हेतु इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि के 90 दिनों के भीतर, यथाविहित प्रपत्र एवं रीति में, इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुरूप अलग अलग आवेदन दाखिल किया जाएगा ।

परन्तु, आवेदन दाखिल करने की अवधि को आयुक्त के द्वारा 30 दिनों से अनधिक अग्रतर अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है ।

(2) आवेदक द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अधीन विवादित बकाया राशि से संबंधित किसी लम्बित अपील, पुनरीक्षण अथवा आवेदन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/फोरम के समक्ष याचिका दायर की जा सकेगी साथ ही आवेदन के साथ यथा विहित एक वचनबंध भी दाखिल किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति उस फोरम को भी अग्रेशित की जाएगी जिसमें सक्षम विवाद लम्बित है ।

(3) धारा 2 के खंड (गपप) में यथा विहित प्राधिकारी के पास पूर्व के बकाया के किसी आवेदन के सम्बन्ध में निम्नवत परिसीमा तक वित्तीय अधिकारिता होंगी-

(i) वाणिज्य-कर/राज्य-कर पदाधिकारी 5 लाख से अनधिक राशि तक;

(ii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर सहायक आयुक्त 10 लाख से अनधिक राशि तक;

(iii) वाणिज्य-कर/राज्य-कर उपायुक्त 50 लाख से अनधिक राशि तक;

(iv) वाणिज्य-कर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त 50 लाख से अधिक की राशि हेतु;

परन्तु यह कि आयुक्त किसी भी आवेदन को एक विहित प्राधिकारी से दूसरे को निष्पादन हेतु अंतरित कर सकते हैं ।

5. आवेदन का निपटान-

(1) विहित प्राधिकारी दाखिल किए गए आवेदन की संवीक्षा करेगा एवं यदि वह इसे सही एवं पूर्ण पाता है तो यथा विहित रीति से इस सम्बन्ध में समाधान आदेश पारित करेगा, और यदि आवेदन किसी भी प्रकार अपूर्ण अथवा अशुद्ध पाया जाता है तो इसके 15 दिनों के भीतर इन कमियों को प्रज्ञापित करते हुए सूचना तामिल होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर परिशोधित करने हेतु, आवेदक को एक सूचना निर्गत की जाएगी।

परन्तु यह कि जहाँ आवेदक सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा वैसी सूचना के तामील होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर वांछित कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी आवेदन को निष्पादित अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

(2) धारा 4 के अधीन दाखिल प्रत्येक आवेदन का निष्पादन यथा विहित रीति से एवं समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

(3) आवेदन की पूर्णता एवं सत्यता से संतुष्ट होने पर विहित प्राधिकारी, पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक रूप से भुगतान की जाने वाली समाधान राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए समाधान आदेश निर्गत करेगा एवं आवेदक को विहित रीति से सूचित करेगा।

परन्तु यह कि वैसे मामलों में, जहाँ किसी भी आवेदन को धारा 6 या धारा 8 के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है अपीलीय आदेश के पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा।

6. समाधान आदेश का प्रतिसंहरण/परिशुद्धि- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ विहित प्राधिकारी को, स्वप्रेरणा से या किसी सूचना पर या आयुक्त के निर्देश पर, ऐसा प्रतीत हो कि आवेदक के द्वारा किसी तथ्य अथवा विषिष्टि को छुपाकर या मिथ्या अथवा असत्य जानकारी देकर समाधान का लाभ ले लिया गया है अथवा समाधान आदेश /अभिलेख में किसी प्रत्यक्ष भूल का पता चलता है तो विहित प्राधिकारी, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत समाधान आदेश पारित किए जाने के 90 दिनों के भीतर की अवधि तक, इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किए गए अपने समाधान आदेश में सुधार या उसे प्रतिसंहत कर सकता है।

परन्तु यह कि 90 दिनों की अवधि को आयुक्त के अनुमोदन से एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्ति -

(1) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निष्पादन हेतु, जैसा वह ठीक समझे, समय- समय पर निदेश एवं अनुदेश निर्गत कर सकता/सकती है;

(2) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित कोई भी प्रपत्र/उपाबंध/वर्कशीट विहित कर सकता/सकती है;

(3) आयुक्त किसी भी अथवा समस्त आवेदन को एक विहित प्राधिकारी से दूसरे को अंतरित कर सकता/सकती है;

(4) आयुक्त, स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर या किसी सूचना पर, किसी प्राधिकारी को समाधान आदेश का पुनःसत्यापन करने हेतु निदेशित कर सकता/सकती है। यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि आवेदक ने तथ्यों/विशिष्टियों/जानकारियों को छुपाया है या असत्य जानकारी दी है अथवा अभिलेख/समाधान आदेश में कोई प्रत्यक्ष भूल है, तो वह किसी भी विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए समाधान आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता/सकती है तथा निदेशित कर सकता/सकती है कि आवेदक को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए नया आदेश पारित किया जाय।

8. **अपील** - (1) विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी भी समाधान आदेश के विरूद्ध अपील, उक्त आदेश के तामीला होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविहित, अधिकारिता रखने वाले प्रमण्डलीय अपर/संयुक्त अयुक्त (अपील) के समक्ष दाखिल किया जाएगा;

(2) ऐसे अपीलीय आवेदन के दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर दिया जाएगा;

(3) धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत पारित किए गए आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अपील के निष्पादन में अपीलीय प्राधिकारी:-

(i) समाधान-आदेश को अपास्त कर सकता है तथा उसे प्रत्यावर्तित कर सकता/सकती है;

(ii) अपील को अस्वीकृत कर सकता/सकती है।

(5) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा;

9. **नियम बनाने की शक्तियाँ -**

(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्ववित करने हेतु, अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकती है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-06/2022-10--लेज०, झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दि-19.01.2023 को अनुमत झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा |

Jharkhand karadhan Adhiniyamon ki Bakaya Rashi ka Samadhan Act,2023

(Jharakhand Act- 01, 2023)

Subject List

Sections

1. **Short title, Extent and commencement**

2. Definitions

3. Determination of Settlement amount.-

4. Application for settlement

5. Disposal of application

6. Revocation/rectification of order of settlement

7. Power of the Commissioner under the Act

8. Appeal

9. Power to make rules

A Bill to enact "The Jharkhand Karadhan Adhiniyamo ki Bakaya Rashi ka Samadhan Adhiniyam 2022" to take immediate action to generate revenue for the State, to grant relief to arrear holders by providing for the settlement of old arrears and disputes arising from proceedings under the Bihar Finance Act 1981 (Bihar Act 5 of 1981) and the Bihar Finance Act, 1981 as adopted in the state of Jharkhand and arrears arising from and dispute under the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 5 of 2006), the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the adopted Bihar Electricity duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and as amended by Jharkhand, the Jharkhand Hotel and Luxury Tax Act, 2011 (Jharkhand Act 21 of 2011), the Jharkhand Advertisement Tax Act, 2012 (Jharkhand Act, 14 of 2012) Jharkhand Tax on Professions, Trades, Calling and Employment Act, 2011 (Jharkhand Act 02 of 2012), the Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012 (Jharkhand Act 13 of 2012), and Bihar Tax on Entry of Goods Act, 1993 (Bihar Act 16, 1993) and Jharkhand Entry Tax on Consumption or Use of Goods Act, 2011 (Jharkhand Act 11 of 2011).

Be it enacted by Legislature of Jharkhand in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, Extent and commencement-

(1) This Act may be called as the “Jharkhand Karadhan Adhiniyamon ki Bakaya Rashi ka Samadhan Act, 2022” (in short Kar Samadhan Yojna 2022)

(2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette and effective up to six months from the date of its notification.

Provided that the State Government may, by notification published in official Gazette in this behalf, extend the said period of six months by such further period, not exceeding six months, as may be specified in the said notification.

2. Definitions-

In this Act unless the context otherwise requires:-

(i) **"Admitted tax"-** means the amount of tax admitted as being payable as per the returns filed by the person under the relevant Act;

(ii) "**Assessed tax**"- means tax, interest and penalty determined as being payable under an order of assessment or reassessment under the relevant Act;

(iii) "**Applicant**"-means a person, who is liable to pay arrears under the relevant Acts and who desires to avail benefits of settlement by complying with the conditions under this Act;

(iv) "**Appeal**"- means an appeal under the relevant Act, pending before the Appellate Authority under respective Act;

(v) **" Arrear of tax, interest and penalty"** - means tax, interest, penalty by whatever name called, payable by an assesee pursuant to an order of assessment, re-assessment or scrutiny or any other order made or passed under the relevant Acts relating to any period ending on or before 31st March, 2018 which is due for payment as on the date of filing application under this Act;

Provided that arrear shall not include any arrear related to deferment of tax schemes, issued by the State Government under the relevant Acts, from time to time;

Provided further that arrear does not include any penalty that has been levied in lieu of prosecution.

(vi) **"Commissioner"-** means the Commissioner of Commercial Taxes or Special Commissioner or Additional Commissioner of Commercial/State Tax appointed by the Government

(vii) "**Dispute**" means an Appeal, Revision, Review, Reference, Writ Petition, or Special Leave Petition, arising out of any order passed under the relevant Act and pending before, as the case may be, the following:-

(i) The Additional/Joint Commissioner of Commercial Taxes/State Tax (Appeal);
(ii) The Additional/Joint Commissioner of Commercial Taxes/State tax (Administration);
(iii) The Commissioner of Commercial Taxes;
(iv) The Commercial Taxes Tribunal;
(v) The Central Sales Tax Tribunal
(vi) The High Court;
(vii) The Supreme Court of India;

Explanation:- For the purposes of this clause a **dispute** includes:

(i) Any levy of tax, interest and penalty by an authority prescribed and/or authorized under the relevant Acts, which has not been paid into Government Treasury, or

(ii) A proceeding for recovery of any tax, interest, or penalty pending for recovery under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;

(viii) "**Disputed Amount**" , in relation to a dispute, means any tax or interest or penalty which has been determined as being payable by the person pursuant to an order of assessment, re-assessment, scrutiny or any other order made or passed under the Relevant Acts and which is not admitted and for such demand a litigation has been filed before any Appellate Authority or Forum but shall not include any demand in pursuant to an order of assessment, re-assessment, scrutiny or any other order made or passed under the Relevant Acts where the Government has filed any case against such demand before any Appellate Authority or higher Courts.

(ix) "**Relevant Act**" means :-

1. The Bihar Finance Act, 1981(Bihar Act 5 of 1981) and The Bihar Finance Act, 1981 as adopted in the State of Jharkhand;
2. The Central Sales Tax Act 1956 (Act74 of 1956);
3. Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05 of 2006);
4. Adopted and amended the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and amended Act 10 of 2011 by Jharkhand;
5. Jharkhand Taxation on Luxuries in Hotels Act, 2011 (Jharkhand Act 21 of 2011)/ Act administered before this;
6. Jharkhand Advertisement Act 2012 (Jharkhand Act 14 of 2012)/ Act administered before this;

7. Jharkhand Tax on Professions, Trades, Calling and Employment Act, 2011;

8. Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012(Jharkhand Act 13 of 2012) / Act administered before this;

9. The Bihar Tax on Entry of Goods Act, 1993 (Bihar Act 16, 1993) and Jharkhand Entry Tax on Consumption or Use of Goods Act, 2011(Jharkhand Act No. 11, 2011);

(x) "**Person**" means any authorized signatory or representative or dealer or legal heir who is a party to a dispute or holder of arrears and wants to settle the dispute/ arrear under the relevant Act an who files an application under this Act for settlement;

(xi) ''**Prescribed**'' means as prescribed in the Rules made under this Act;

(xii) ''**prescribed authority**", for the purposes of this Act, means authorities specified under section 4 of Jharkhand Value added Tax Act, 2005;

(xiii) "**Revision**" means a petition for revision under the relevant Act pending before the Commissioner of Commercial Taxes Department

or before the Commercial Taxes Tribunal Jharkhand;

(xiv) "**Settled**", in relation to a dispute, means disposal and conclusion of the proceeding in relation to such dispute;

(xv) "**Settlement Amount**" means the amount of tax, interest and penalty to be paid by the applicant as per the order passed by the authority, i.e., the amount to be paid finally;

(xvi) "**Statutory Certificates, Declarations, Forms**" for the purpose of this Act means declarations, certificates or any declaration Forms prescribed under the Relevant Acts or Rules;

(xvii) "**Tribunal**" means the Commercial Taxes Tribunal constituted under the Bihar Finance Act, 1981 or the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 or the Central Sales Tax Tribunal.

The words or expressions not defined herein shall have the same meanings respectively assigned to them under the relevant Act or rules framed there under.

CHAPTER II

SETTLEMENT OF DISPUTES

3. Determination of Settlement amount.-

Subject to other provisions of this Act, old arrears of tax or tax in a dispute pending under the relevant Act may, on an application made in this behalf by a person, be settled upon payment of the settlement amount as specified in column 3 and 4 of the Table below:-

Table

No.	Type of Cases	Settlement amount	
1	2	3 (Tax)	4 (Interest)
1	Arrear of admitted tax, interest and penalty	100% amount of admitted tax	10% of unpaid amount of interest and penalty (90% waiver).
2	Arrear amount of assessed tax upto Financial year 2017-18.	40% of the difference between the tax component of assessed tax and the amount of tax already paid (60% waiver)	10% of the unpaid amount of interest and penalty in that statutory order (90% waiver)
3	Arrear amount related to statutory declarations/Forms/ certificates upto Financial Year 2017-18	50% of the unpaid amount of tax calculated after the deduction of (50% waiver) (a) The amount of tax involved in the value of acceptable Forms/Certificates/Declaratios submitted by the applicant before the prescribed authority under this Act, and (b) The amount already paid towards the total arrear of tax.	10% of the unpaid amount of interest and penalty as per statutory order (90% waiver)
4	Any arrear in dispute other than mentioned in Sl. No. 1, 2 and 3	40% of tax in dispute provided the same has not been decleared/considered in any order/assessment/reassessment (60% waiver)	10% of the unpaid amount of interest and penalty as per statutory order (90% waiver)

Provided that, where the amount of tax involved in the value of acceptable forms/ certificates/ declarations, alongwith the amount already paid, becomes more than the arrear amount, no refund shall be made as a result of the Settlement.

Provided further that, no application for settlement shall be entertained by the authority, in which the State Government/Department has moved to higher court.

Explanation-I Where settlement application IS made only against interest and penalty order, it shall be considered provided the relevant tax component in the statutory order has been paid;

Explanation-II For the purpose of settlement of dispute, each statutory order/Demand Note issued by the department/ authority shall be construed as one dispute and person has to apply separately for settlement for each such dispute.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

4. Application for settlement- (1) Any person desiring settlement of arrears, shall file before the prescribed authority, separate applications for each statutory order under each relevant Act, in such form and manner as may be prescribed, within 90 days from the date of this Act coming into force.

Provided that the Commissioner may extend the said period for filing the application for further period not exceeding thirty days.

(2) The applicant shall make disclosure about any pending appeal, revision or any petition before any Authority or Forum with respect to such arrear in dispute under relevant Act. An undertaking, as may be prescribed, shall be furnished along with the application and copy of undertaking shall be forwarded to the Forum, before which such dispute is pending.

(3). The prescribed Authority as specified in Clause (xii) of Section 2 shall have the financial Jurisdiction as per the following limits of old arrears with respect to an application-

(i) Commercial Taxes/ State Tax Officer for the amount not exceeding Rs 5 lakh;
(ii) Assistant Commissioner of Commercial Taxes/ State Tax not exceeding Rs 10 lakh;
(iii) Deputy Commissioner of Commercial Taxes / State Tax not exceeding Rs 50 Lakhs;
(iv) Joint Commissioner of Commercial Taxes / State Tax for more than Rs 50 Lakhs;

Provided that the Commissioner may transfer any application from one prescribed authority to another for disposal.

5. **Disposal of application:-**

(1) The prescribed authority will scrutinize the application filed and if it is found correct and complete, will pass settlement order in the manner as prescribed. If the application is found incomplete or incorrect in any manner, a notice shall be issued to the applicant within 15 days, intimating deficiency to rectify the same within 15 days from the date of service of such notice;

Provided that where the applicant fails to comply the notice or fails to submit the required documents within 15 days of service of such notice, the prescribed authority may process or reject the application.

(2) Every application furnished under section 4 shall be processed in such manner and within such time as may be prescribed.

(3) The prescribed authority shall, on being satisfied about the fulfillment and correctness, pass the order of settlement, within 30 days from the date of submission of complete Application, for each separately, specifying therein the amount of settlement to be paid and intimate the applicant in the manner prescribed;

Provided that where any application is remanded under section 8 or section 6 to the prescribed authority for reconsideration, the order shall be passed within 30 days of passing of the order by the appellate authority.

6. **Revocation/rectification of order of settlement**- Notwithstanding anything contained in this Act, where it appears to the prescribed authority on his/her own motion or any information or direction from the Commissioner, that the applicant has obtained the benefit of settlement by suppressing any fact or particulars or by furnishing false or incorrect information or finding any apparent mistake on records or order of settlement, the prescribed authority may, for the reasons to be recorded in writing and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, revoke/rectify the order of settlement passed by him under this Act, within a period of 90 days of passing the order of settlement;

Provided the period of 90 days may be extended to one year with the approval of the Commissioner.

7. Power of the Commissioner under the Act

(1) The Commissioner may, from time to time, issue instructions and directions as he/she ma deem fit for carrying out the purpose of this Act;

(2) The Commissioner may prescribe any Form/annexure/worksheet required for the purpose of this Act;

(3) The Commissioner may transfer any or all application from one prescribed authority to another;

(4) The Commissioner may, on his/her own motion or on application or information, direct the authority to re verify the Order of Settlement. If he/she has reasons to believe, that applicant has suppressed any fact/particular/information or has furnished false information or if he/she finds any apparent mistake on the records/order of settlement, he/she may revoke the Order of Settlement passed by any prescribed authority and direct it to pass a fresh order after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

8. Appeal-

(1) An appeal against the order of settlement passed by the Prescribed Authority, shall be filed before the Additional/Joint commissioner (Appeal) of the Division, having jurisdiction as specified in sub- section (2) of Section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 within 30 days from the date of service of such order;

(2) Appellate authority shall pass an order, after giving opportunity of hearing, within 60 days of filing of such application of appeal;

(3) No appeal shall lie against the order passed under proviso of sub-Section (2) of Section 3;

(4) While disposing off the appeal, the appellate authority may,-

(i) set aside the order of settlement and remand the same;

(ii) reject the appeal;

(5) Order passed by appellate authority shall be final;

9. Power to make rules-The Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 52 -- 50